


द्वयम या कायवाही मय इति नियम ३३
७/१२/२०

हरिश्चन्द्र ५१९ हिम्मतसिंह वगैरे

द्वयम की वासी
में जारी हुए

अजमेर
१९२


११/१२/२०२१
पत्रावली पं० ३३ / वकील आधी उप. वकील अग्रणी वं.
१२ उपस्थित है। मूल पत्रावली में लखित आ. पत्र
अन्तर्गत O.R. CPC का आधी द्वारा जबाब व
लिखित वदम प्रस्तुत की जा चुकी है। जो पूर्व में ही
अभिलेख पर है। वकील अग्रणी द्वारा आ. पत्र अन्तर्गत
P.S. O.R. CPC की ही बहस मानकर आ. पत्र पर
आदेश पारित किये जाने बाबत निवेदन किया।
आ. पत्र में देने पक्षधरो की सुना गया। पत्रावली वगैरे
आदेश आ. पत्र अन्तर्गत P.S. O.R. CPC नियत
की गई। पत्रावली जाहाना दिनांक १०/१२/२१ को प्रेष
दी।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

१०/१२/२१
पत्रावली द्वारा जाज काय स्थगन रखा गया है।
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु
आईदा दिनांक २०/१२/२१ को पेश हो।

५५

२०/१२/२०२१
पत्रावली पं० ३३ मूल पत्रावली वास्ते आदेश
आ. पत्र अन्तर्गत P.S. O.R. CPC नियत है। मूल
पत्रावली में उतिवाही गण द्वारा प्रस्तुत आ. पत्र अन्तर्गत
आदेश नियम ११ वास्ते वाद खारिज स्वीकार किया
जाकर, वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। वाद पत्र
के खारिज होने की स्थिति में आ. पत्र द्वारा २५२ शा. ३३
अधिनियम पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती
है। अतः पत्रावली पर कार्यवाही रस स्तर पर समाप्त
की जाती है। पत्रावली फाइनल शमार है। नम्बर से
का छोड़कर बाखिल रज्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

